संख्या-116/2022/629/41-2022-08(बजट)/2019

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 16 मार्च 2022**

विषयः- मा0 मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत जनपद बहराईच में गुल्लावीर में महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा के निकट मंच के सामने एक सभागार व एक स्मारक के निर्माण की परियोजना ***(परिवर्तित नाम मा0 मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत "जनपद बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्मारक का निर्माण एवं चित्तौरा झील का विकास "*** की परियोजना हेतु तृतीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संबंधित अपने पत्र सं0-7932/6-1-1(44)मु0मं0घो0/ 2018-19 दिनांक 15 मार्च 2022 का संदर्भ ग्रहण करें ।

2. वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजना के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत जनपद बहराईच में गुल्लावीर में महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा के निकट मंच के सामने एक सभागार व एक स्मारक के निर्माण की परियोजना हेतु चयनित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा तैयार किये गये आगणन रू0-4361.79 लाख का व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक- 08 जनवरी 2021 में परीक्षण /मूल्यांकन कराये जाने के क्रम में प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित /अनुमोदित लागत के अनुसार रू0 3949.06 लाख (रूपये उन्तालिस करोड उनचास लाख छह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं रू0 593.00 (रूपये पांच करोड तिरानवे लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-104/2021/445/41-2021-08(बजट)/2019 दिनांक 08 फरवरी 2021 द्वारा निर्गत की गई है। **तदनन्तर शासनादेश संख्या-127/2021/685/41-2021-08(बजट)/2019 दिनांक 17 फरवरी 2021 द्वारा परियोजना का नाम परिवर्तित कर *मा0 मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत "जनपद बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्मारक का निर्माण एवं चित्तौरा झील का विकास* " किया गया है।** उक्त पृष्ठभूमि में जिलाधिकारी बहराईच के पत्र सं0-414/मा0मु0मं0घो0 /नि0कार्य0 /2021 दिनांक 27-08-2021 में की गई संस्तुति के क्रम में शासनादेश सं0-411/2021/2456/41-2021-08(बजट)/2019 दिनांक 31-08-2021 द्वारा निम्नांकित निर्णय संसूचित किया गया :-

(1) जिलाधिकारी ,बहराईच की आख्यानुसार संबंधित ठेकेदार जिसे आंशिक कार्य आवंटित कर कार्यादेश जारी किया जा चुका है ,उससे एग्रीमेंट/वर्क आर्डर की प्रतिलिपि लेकर कार्यदायी संस्था-उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0को समयबद्ध रूप से दि0-30 नवम्बर 2021 तक गुणवत्तापरक कार्य किये जाने के निर्देश जारी कर दिये जायें।

(2) प्रायोजना के अवशेष कार्य ,जिनका कार्यादेश जारी नहीं हुआ है एवं मौके पर कार्य अब तक प्रारम्भ नहीं हुआ है ,उसके संदर्भ में महाप्रबंधक ,सी0एण्ड डी0एस0 ,उ0प्र0 जल निगम के पत्रांक-303/जी0एम0(एन-10)पर्यटन /14 दिनांक 27-8-21 द्वारा व्यक्त की गई सहमति के क्रम में एतद्द्वारा सी0एण्ड डी0एस0 ,उ0प्र0 जल निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है । उक्त क्रम में कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम से समयबद्धता की वचनबद्धता प्राप्त कर जी जायेगी।

3- तदनन्तर महानिदेशक पर्यटन के पत्र सं0-3879/मु0मं0घो0/ 2018-19 दिनांक 08 अक्टूबर 2021 द्वारा कार्यदायी संस्था-सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम के पत्रांक- 346/जी0एम0(एन0-10)/पर्यटन/22 दिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

30-9-2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये मांग पत्र के क्रम में शासनादेश सं0-543/2021/4037/41-2021-08 (बजट)/2019 दिनांक 26-10-21 द्वारा कार्यदायी संस्था -सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम के पक्ष में रू0-654.93 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के अवशेष के रूप में अवमुक्त करने के आदेश प्रदान किये गये । उक्त के अतिरिक्त प्रायोजना की कुल लागत रू0-3949.06 लाख में से उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा कराये जाने वाले कार्यों की लागत 347.55 लाख की पुष्टि करते हुये प्रायोजना हेतु प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गई धनराशि रू0-593.00 लाख में से उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0 का अंश घटाकर अवशेष धनराशि सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम को तत्काल उपलब्ध कराने के आदेश प्रदान किये गये।

4- उक्त पृष्ठभूमि में महानिदेशक पर्यटन के उल्लिखित पत्र दिनांक 15-3-22 द्वारा अवशेष धनराशि अवमुक्त करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है जिसके परीक्षणोपरान्त यह विदित हो रहा है कि उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा अपने पत्र दिनांक 21-2-22 द्वारा सी0एण्ड डी0एस0 को रू0-368.27 लाख् की धनराशि ट्रान्सफर की गई है जिसके फलस्वरूप उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गई धनराशि रू0-593.00 में से रू0-224.73 व्यय करते हुये अपने अंश का कार्य कराया गया है तथा कार्यदायी संस्था-सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम के लिये अभी तक धनराशि रू0-1023.20 लाख अवमुक्त की गई है। परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि कार्यदायी संस्था द्वारा उपयोग की गई ध्नराशि से कौन से कार्य कराये गये है / उक्त् कार्य की निविदा लागत कितनी है । इस संबंध में व्यय की गई धनराशि का मदवार व्यय विवरण् / उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित अन्य प्रपत्र उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। इसी प्रकार कार्यदायी संस्था -सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा कराये जा रहे कार्यों की कुल लागत रू0-3601.51 लाख के सापेक्ष निविदा लागत/ मदवार व्यय विवरण /अनुबन्ध की प्रति/माप विवरण/क्षतिपूर्ति बंध पत्र/लेबर सेस जमा कराने का साक्ष्य नहीं उपलब्ध कराया गया है एवं ई-टेण्डर नहीं किये जाने का तथ्य सूचित किया गया है। अत: इस संबंध में अपेक्षित अभिलेख/सूचना एवं कारणात्मक आख्या निदेशालय स्तर से स्पष्ट संस्तुति सहित उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

5- अत: उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रायोजना के अवशेष कार्यों को कराये जाने हेतु तृतीय किश्त के रूप में रू0-900.38 लाख (रूपये नौ करोड अडतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति एतद्द्वारा श्री राज्यपाल इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान करते हैं कि प्रायोजना की तृतीय किश्त की मांग करते समय उपरोक्त प्रस्तर-4 पर इंगित कमियों के निराकरण हेतु निदेशालय स्तर से सम्यक परीक्षणोपरान्त सुसंगत अभिलेख/प्रपत्र एवं स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या **<u>एक सप्ताह के अंदर</u>** उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- उपरोक्त प्रस्तर-5 में प्रदान की जा रही वित्तीय स्वीकृति के क्रम में आहरण से पूर्व निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धो का अनुपालन किया जायेगा :-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-104/2021/445/41-2021-08(बजट)/2019 दिनांक 08 फरवरी 2021/ शासनादेश संख्या-127/2021/685/41-2021-08(बजट)/2019 दिनांक 17 फरवरी 2021/ शासनादेश सं0-411/2021/2456/41-2021-08(बजट)/2019 दिनांक 31-08-2021 एवं शासनादेश सं0-543/2021/4037/41-2021-08 (बजट)/2019 दिनांक 26-10-21 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-149/दस-2020-231/2019, दिनांक 24 मार्च, 2020,शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 7-4-2020 , शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-4-2020 , शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-5-2020 एवं वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनाँक : 22 मार्च, 2021 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में ***प्रामाणिक प्रपत्र -जी0एस0टी0 इन्वायस*** सक्षम स्तर से महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च 2021 के प्रस्तर-2(9) में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 75 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(6) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(7) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (**V II**) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रायोजना में अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7- प्रस्तर-5 में प्रदान की जा रही वित्तीय स्वीकृति की धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या संख्या**-1/2021/बी-1-141/**दस**-2021-231/2020** दिनांक 20 जनवरी 2021 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मण्डलायुक्त देवीपाटन मण्डल/जिलाधिकारी , बहराईच।
4- मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
5- श्री दिनेश कुमार उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक / महाप्रबंधक(अयोध्या अंचल), उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
8- अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0,मेडिकल कालेज इकाई ,बहराईच।
9- प्रबंध निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0,उ0प्र0 जल निगम लखनऊ।
10- महाप्रबंधक(नि-10) सी0 एण्ड डी0एस0,उ0प्र0 जल निगम लखनऊ।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 उ0प्र0 शासन।
12- उप निदेशक पर्यटन अयोध्या।
13- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
14- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।